भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *260**

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

काली मिर्च उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा

*260. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काली मिर्च उत्पादक आसियान देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) और भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएलएफटीए) के अंतर्गत कम सीमा शुल्क का लाभ उठा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण किए जाने से इस समस्या का सामना करने में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ऐसे उपाय करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

*****

"काली मिर्च उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा" के संबंध में 10 जुलाई,2019 को उत्तरार्थ लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 260 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) एवं (ख): श्रीलंका होकर वियतनाम से भारत में निम्न गुणवत्ता वाली काली मिर्च के कथित आयात के संबंध में देश में काली मिर्च के व्यापारियो/उपजकर्ता एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि अधिकांश काली मिर्च उत्पादक देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियान)क्षेत्र में हैं इसलिए हितधारकों ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए)एवं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के प्रावधानों का उपयोग करके श्रीलंका होकर भारत में वियतनाम सहित आसियान देशों में उत्पादित काली मिर्च को भेजे जाने की आशंकाएं जताई हैं ।

भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए काली मिर्च के आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. केंद्रीय सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की दिनांक 6.12.2017 की अधिसूचना के तहत काली मिर्च के लिए. न्यूनतम आयात कीमत 500/- प्रति कि.ग्रा निर्धारित की है।

2. इसके बाद, दिनांक 21.3.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत 500 रुपये या उससे अधिक प्रति किलोग्राम कीमत पर काली मिर्च के आयात को मुक्त करके और 500 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत के आयात को निषिद्ध करके न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) अधिसूचना में संशोधन किया गया।

3. भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के तहत अधिमान्य पहुंच का लाभ उठाकर अन्य देशों से काली मिर्च के अनुचित आयात को रोकने के लिए, श्रीलंकाई प्राधिकारियों से उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने में पूरी सावधानी एवं विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था। हमारे अनुरोध पर, श्रीलंका ने भारत को भेजे जाने वाले तीसरे देश के काली मिर्च के पोत लदान के लिए उद्गम प्रमाणपत्र का दुरूपयोग रोकने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इन उद्गम प्रमाणपत्रों को जारी करते समय, श्रीलंका में संबंधित प्राधिकारी निर्यात की यथार्थता का सुनिश्चय करने के लिए, श्रीलंका में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त काली मिर्च के निर्यात से संबंधित सूचना का क्रास सत्यापन भी कर रहे हैं। श्रीलंका ने एक तंत्र भी बनाया है जिसके तहत भारतीय प्राधिकारियों को आईएसएफएलटीए और साफ्टा के अंतर्गत काली मिर्च के निर्यात के लिए जारी किए जाने वाले उद्गम प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों की जांच करने की सुविधा प्रदान की गई है।
4. श्रीलंका ने इण्ट्रीपोर्ट व्यापार और वाणिज्यिक हब प्रचालनों से होकर काली मिर्च और सुपारी सहित मसालों के आयात को अस्थायी रूप से आस्थगित कर दिया है ताकि इन मसालों को श्रीलंका के उत्पाद के रूप में श्रीलंका से भारत को पुन: भेजने से रोका जा सके।

5. श्रीलंका ने उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए श्रीलंका में मौजूदा प्रक्रियाओं तथा आईएसएफटीए और साफ्टा के तहत श्रीलंका द्वारा निर्यातित काली मिर्च के पोत लदानों के लिए जारी प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए श्रीलंका द्वारा स्थापित नए तंत्र की जांच करने के लिए एक तकनीकी टीम का दौरा सुसाध्य बनाने पर सहमति जताई है।

6. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सीमाशुल्क की प्रक्षेत्र संरचनाओं के प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बंदरगाहों पर प्रवेश स्थलों पर सतर्कता बरतें जिससे विभिन्न देशों से निम्न गुणवत्ता की काली मिर्च के प्रवेश की संभावना का निराकरण किया जा सके। अध्यक्ष, सीबीआईसी, राजस्व विभाग को सीमा पर निगरानी को मजबूत करने के लिए नेपाल, भूटान,बांग्लादेश और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रासंगिक अधिकारियों को आवश्यक परामर्शी जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि देश में काली मिर्च के अवैध प्रवेश को रोका जा सके ।

(ग) और (घ) : सरकार , राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, कृषि और लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर गन्ने के लिए उचित और लाभपद मूल्य (एफआरपी) तथा 22 अधिदेशित खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को तय करती है। एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलें प्रमुख कृषि पण्य वस्तु हैं जो व्यापक रूप से उगाए जाने वाले और खेती के तहत बड़े क्षेत्र में आने वाली वस्तुएं हैं, आम तौर पर लंबे समय तक रहने वाले शेल्फ अवधि या /और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक जन उपभोग की वस्तुएं हैं। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उन कारकों पर विचार करता है, जिनमें फसलों के उत्पादन की भारित अखिल भारतीय औसत लागत शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम तीन वर्षों के वास्तविक लागत अनुमानों के आधार पर, जिसे 'भारत में प्रमुख फसलों की कृषि की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना' के तहत संकलित किया गया है सीएसीपी सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके कुछ अंतर्निहित धारणाओं के तहत आगामी मौसम के लिए फसल-वार, राज्यवार लागत प्रक्षेपण प्रयोग प्रारंभ करता है। सीएसीपी द्वारा मूल्य नीति सिफारिशों के निर्माण में उत्पादन की लागत के इन प्रक्षेपित आकलनों पर विचार किया जाता है। काली मिर्च उन 25 फसलों में से एक नहीं है जो इस योजना के तहत आती हैं।

*****